न्यायालय सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

.....

पीठासीन अधिकारीः श्री राजेश नारायण शर्मा, ''आर.एच.जे.एस.''
विविध दाण्डिक प्रकरण संख्याः 02/2018

अनूपसिंह पुत्र श्री आलमसिंह जाति गुर्जर निवासी भादौली थाना बालघाट जिला करौली (राज0) ——प्रार्थी—अभियुक्त

विरूद्ध

राज्य सरकार ——अप्रार्थी—अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
बसिलसिले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 214/2016
पुलिस थाना मॉसलपुर जिला करौली अं0धा0 279, 337, 338, 379, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0

.....

उपस्थितः
1. श्री दयालसिंह, अभिभाषक, ओर से प्रार्थी—अभियुक्त।
2. श्री संतोष कुमार सिंह, लोक अभियोजक, ओर से राज्य सरकार।

आ दे श दिनांकः 04.01.2018

1. प्रार्थी—अभियुक्त अनूपसिंह द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 दिनांक 02.01.2018 को प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र की सूचना लोक अभियोजक को दिलवाई गई, जवाब पेश नहीं किया। केस डायरी तलब की जाकर उभय पक्षों को सुना गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी कनीराम ने दिनांक 23.11.2016 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली में परिवाद इस आशय का पेश किया कि दिनांक 18.11.2016 को समय करीब 5 बजे परिवादी की मॉ श्रीमती बुन्दिया विजयसिंह को छोडने सरकारी सडक पर आ रही थी, जैसे ही वह शिम्भू जाटव के मकान के आगे पानी की टंकी के पास आये तो मोटरसाईकिल आर.जे.05—एस.एस. 6639 का चालक वाहन को बडी तेज गति व लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ चला रहा था तथा उसने बुन्दिया के टक्कर मार दी, जिससे उसकी मॉ के कूल्हे की हड्डी टूट गई एवं शरीर पर जगह—जगह चोट आयी। चालक टक्कर मारकर मौके से भाग गया। विजयसिंह ने बुन्दिया को घायल अवस्था में सामान्य चिकित्सालय करौली में भर्ती करवाया। वह उक्त घटना की रिपोर्ट करने दिनांक 19.11.2016 को थाना मॉसलपुर गये परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उक्त इस्तगासा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के समक्ष पेश किया, जहां से पुलिस थाना मॉसलपुर जिला करौली को धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अधीन भेजा गया, जिस पर दिनांक 03.12.2016 को प्रथम

सूचना रिपोर्ट संख्या 214/2016 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भा0दं0सं0 संस्थित की जाकर तफ्तीश की गई । दौराने अनुसॅधान प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 28.12.2017 को गिरफ्तार किया गया, दिनांक 29.12.2017 को उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा दिनांक 29.12.2017 को प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अं0धा0 437 दं0प्र0सं0 शीतकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा खारिज किया गया।

3. दौराने बहस प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रुप से कहना है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा झूॅठा फॅसाया गया है। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वीक्षा योग्य है जिसमें आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है, अनुसॅधान व अन्वीक्षा में समय लगेगा। निवेदन किया कि तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गम्भीरता को मध्ये नजर रखते हुये प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली का अवलोकन किया। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध 379, 411, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप प्रमाणित पाये गये है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनॉक 28.12. 2017 से अभिरक्षा में है। मामला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना तथ्यों व परिस्थितियों तथा अनुसॅधान व अन्वीक्षा में लगने वाले समय को मध्ये नजर रखते हुये प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थना पत्र जमानत अं0धा0 439 दं0प्र0सं0 प्रार्थी–अभियुक्त अनूपसिंह स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत दस हजार रुपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे उक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(राजेश नारायण शर्मा)

7. आदेश आज दिनॉक 04.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(राजेश नारायण शर्मा)